छ०ग० उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यू पी.एस. क्र–2797/2019

कृष्ण कुमार तिवारी, उम्र 76 वर्ष, पिता श्री मालिकराम तिवारी, निवासी मकान नं० 286, सीनियर एमआईजी, सेक्टर–2,दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर, पुलिस थाना–डी०डी० नगर, सिविल एवं राजस्व जिला रायपुर पिन–492001 (छ०ग०)

–––––याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नवा रायपुर, राजस्व एवं सिविल जिला रायपुर (छ०ग०) पिनकोड–492001
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल (म०प्र०) पिनकोड–462004
3. जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, रायपुर द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, रायपुर सिविल एवं राजस्व जिला रायपुर (छ०ग०) पिनकोड–492001

–––––उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता द्वारा: श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण/राज्य द्वारा: सुश्री सुनीता जैन, शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादूड़ी

आदेश

16/10/2020

1. श्रवण किया गया ।

2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता की आयु अब लगभग 80 वर्ष हो चुकी है और आज दिनांक तक उसकी सेवानिवृत्ति उपरांत देय राशि का भुगतान उत्तरवादीगण के द्वारा नहीं किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के तर्क अनुसार, याचिकाकर्ता 31.03.2000 को भूतपूर्व एकीकृतमध्य प्रदेश राज्य से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी सेवानिवृत्ति के तीन दिन पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ आदेश दिनांक 27.03.2020 के तहत विभागीय जांच शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता को आरोप–पत्र दिया गया और अंततः 12 दिसंबर, 2005 को विभागीय जांच पूरी हुई और जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके बाद विभागीय जांच में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया, जिसके परिणामस्वरूप यह तथ्य सामने आया कि याचिकाकर्ता, जो आज की तारीख में 80 वर्ष की आयु के करीब पहुंच चुका है, उसे सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन लाभ के साथ–साथ छठवे और सातवें वेतन आयोग का लाभ और उसका बकाया भी नहीं मिल पा रहा है, जिसका वह हकदार है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता ने अलग – अलग मुकदमे दायर किए हैं। प्रारंभ में डब्ल्यूपीएस संख्या 1503/2015 रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि चूंकि विभागीय जांच लंबित होने के कारण ग्रेच्युटी और अन्य लाभों जैसे सेवानिवृत्ति बकाया का निपटान नहीं किया गया है, इसलिए विभागीय जांच के निष्कर्ष के लिए राहत मांगी गई थी। उक्त डब्ल्यूपीएस संख्या 1503/2015 (अनुलग्नक पी–10) में 04.05.2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:–

> "1. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता 31.03.2000 को महानगर जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र रायपुर के पद से प्रतिवादियों की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था। हालांकि, लंबित विभागीय जांच के कारण आज तक उसकी सेवानिवृत्ति देय राशि जैसे ग्रेच्युटी और अन्य लाभ का भुगतान नहीं किया गया है।
>
> 2. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त हुए लगभग 15 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है । जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बावजूद आज दिनांक तक उन्होंने विभागीय जांच को निराकृत नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को यह पता नहीं है कि कोई अंतिम निर्णय पारित किया गया है या नहीं, और ना ही उसे कोई अंतिम निर्णय प्रदान किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इस समय, मामले की गुणदोष पर विचार किए बिना, इस न्यायालय का यह अभिमत है कि यदि यदि आज दिनांक तक याचिकाकर्ता के विभागीय जांच पर निर्णय नहीं लिया गया है तो याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच पर अंतिम निर्णय लेने के लिए संबंधित प्रतिवादी को निर्देश दिए जाने से न्याय का उद्देश्यों की पूर्ति होगी । यदि याचिकाकर्ता के विभागीय जांच का निराकरण हो चुका हो तो याचिकाकर्ता को निर्णय के बारे में सूचित किया जावे ।"

4. यह अपेक्षा की जाती है कि प्राधिकारी याचिकाकर्ता की उम्र और इस तथ्य पर विचार करेगा कि याचिकाकर्ता 15 साल पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, विभागीय जांच पर आज दिनांक से 4 माह के भीतर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेगा ।

5. उपर्युक्त टिप्पणी के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. यह भी निवेदन किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान भी नहीं किया गया था, इसलिए पुनः एक रिट याचिका (अनुलग्नक पी–11) जिसका डब्ल्यूपीएस संख्या 2690/2016 है, वर्ष 2016 में दायर की गई, जिसमें इस न्यायालय ने 25.07.2017 को आदेश पारित किया है। आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत है:–

"8. विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या 1967 के नियमों के नियम 64 के अंतर्गत , किसी जांच के लंबित रहने के कारण, ग्रेच्युटी को अनिश्चित काल के लिए रोका जा सकता है।

9. 1967 के नियमों के नियम 64 में निहित प्रासंगिक प्रावधान को इस प्रकार उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:

"64. विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित होने पर अनंतिम पेंशन – (1) (क) सरकारी सेवकों के संबंध में नियम 9 के उपनियम (4) के तहत कार्यालय प्रमुख ऐसे सरकारी सेवक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम पेंशन और ग्रेच्युटी के 50% से

अधिक अनंतिम पेंशन के भुगतान को अधिकृत करेगा, जो सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि तक अर्हक सेवा के आधार पर स्वीकार्य होगा या यदि वह सेवानिवृत्ति की तिथि पर निलंबित था, तो निलंबन की तिथि से ठीक पहले की तिथि तक।

(ख) अनंतिम पेंशन स्थापना वेतन बिल पर आहरित की जाएगी तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि से प्रारंभ होकर विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के समापन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने की तिथि तक की अवधि के दौरान भुगतान किया जाएगा।

(ग) अनंतिम ग्रेच्युटी स्थापना वेतन बिल पर आहरित की जाएगी तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख द्वारा नियम 60 के उपनियम [(2)] में उल्लिखित बकाया राशि को समायोजित करने के पश्चात लेखा कार्यालय को सूचित करते हुए भुगतान किया जाएगा। उप–नियम (1) के अन्तर्गत किए गए अनंतिम पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतान को ऐसी कार्यवाही के समापन पर ऐसे सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, किन्तु जहां अंतिम रूप से स्वीकृत पेंशन/ग्रेच्युटी अनंतिम पेंशन/ग्रेच्युटी से कम है या पेंशन/ग्रेच्युटी को स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए कम कर दिया गया है या रोक लिया गया है, वहां कोई वसूली नहीं की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपर्युक्त प्रावधान राज्य को शासकीय सेवक के ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार देता है, परंतु विभागीय जांच लंबित होने की स्थिति में 50% तक ग्रेच्युटी जारी करने का विवेकाधिकार है, जो शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका है और सेवानिवृत्त हो चुका है। अर्थात जांच लंबित रहने के कारण, ग्रेच्युटी राशि का अधिकतम 50% जारी किया जा सकता है और शेष 50% जांच पूरी होने तक रोका जा सकता है। इसका मतलब है कि , यह प्रावधान प्राधिकारी को अनिश्चित काल के लिए विभागीय जांच पर बैठने और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उसकी किसी गलती के बिना ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित करने की अनुमति देने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। मामले के तथ्य जो

निर्विवाद हैं, वे हैं कि जांच रिपोर्ट वर्ष 2005 में प्रस्तुत की गई थी। जिसके 12 साल बाद भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को इस कठोर निष्क्रियता के लिए क्यों भुगतना चाहिए?

11. भले ही नियम 64 के तहत विभागीय जांच के समापन के लिए कोई विशिष्ट अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है ताकि ग्रेच्युटी को रोका जा सके , संविधान के अनुच्छेद 14 की कठोरता से प्रावधान की संवैधानिकता को बचाने के लिए, प्रावधान को उचित और तर्कसंगत रूप से व्याख्यायित किया जाना चाहिए ताकि प्राधिकरण को केवल उचित समय के लिए ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया जा सके और अनिश्चित काल के लिए नहीं, निश्चित रूप से 17 साल तक बिना निष्कर्ष के विभागीय जांच पर बैठे रहने पर नहीं । यह न्यायालय प्रतिवादियों के हाथों में इतनी कठोर शक्ति नहीं पढ़ेगा कि किसी भी समय सीमा के बावजूद, जब तक विभागीय जांच समाप्त नहीं हो जाती, ग्रेच्युटी रोकी रहेगी। तथ्यों के आधार पर, यह ऐसा मामला नहीं है जहां जांच केवल याचिकाकर्ता के कारण पूरी नहीं हो सकी और राज्य प्राधिकरण के कारण नहीं। इसलिए, ऐसे मामले में जांच के निष्कर्ष के लिए एक उचित समय सीमा होनी चाहिए और यदि यह उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है , तो ग्रेच्युटी राशि जारी करनी होगी। इस तरह की आवश्यकता को 1976 के नियमों के नियम 64 में पढ़ा जाना चाहिए ताकि ग्रेच्युटी को बेलगाम और मनमाना मानने की शक्ति को बचाया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच लंबित होने के नाम पर 17 वर्षों तक सेवानिवृत्ति लाभ रोके रखने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। 1976 के नियम 64 का सहारा अनिश्चित काल तक ग्रेच्युटी रोकने के लिए नहीं लिया जा सकता। जांच के लंबित होने के आधार पर याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी रोकने की प्रतिवादी की कार्रवाई मनमाना, अवैध और कानून की दृष्टि से अप्रचलनशील है ।

13. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी क्रमांक 2/मध्य प्रदेश राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को उसकी संपूर्ण ग्रेच्युटी राशि पर सेवानिवृत्ति की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक

10% ब्याज सहित संपूर्ण ग्रेच्युटी राशि तत्काल जारी करे। यह राशि याचिकाकर्ता को 90 दिनों की अवधि के भीतर देय होगी।

6. ऐसे आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य द्वारा एम.सी.सी. संख्या 627/2017 के तहत एम.सी.सी. दायर की गई थी और उक्त एम.सी.सी. को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ दिनांक 06.10.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

1. इस न्यायालय द्वारा 25.7.2017 को डब्ल्यूपीएस संख्या 2690/2016 में पारित आदेश की समीक्षा इस आधार पर की जानी है कि यद्यपि नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से आवेदक द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया जा सका।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि विभागीय जांच पूरी नहीं हो सकी, फिर भी इसके पीछे उचित कारण थे, क्योंकि जांच रिपोर्ट 2.12.2005 को प्रस्तुत की गई थी और आरोपों में से एक के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा के माध्यम से जांच कराने की सिफारिश की गई थी। यह निवेदन किया गया कि उस महत्वपूर्ण कारण से याचिकाकर्ता प्राधिकारी अपनी ओर से सभी बेहतरीन प्रयासों के बावजूद जांच पूरी नहीं कर सके। यह भी निवेदन किया गया कि इसे पहले सुनवाई के समय न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य नहीं रखा जा सका और इसलिए आदेश को वापस लिया जा सकता है, तथा इसकी समीक्षा की जा सकती है, इसमें संशोधन किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आवेदक के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेश की समीक्षा या उसे वापस लेने का कोई आधार नहीं मिला। तथ्य यह है कि जांच रिपोर्ट वर्ष 2005 में ही प्रस्तुत की गई थी, जो इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व बहुत पूर्व प्रस्तुत किया जा चुका था। रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्देश जारी करने के लिए न्यायालय का यह विचार था कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच लंबित होने के नाम पर 17 वर्षों तक सेवानिवृत्ति लाभ रोके रखने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। इसलिए, आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गैरी मुखोपाध्याय द्वारा किए गए विस्तृत प्रस्तुतीकरण पर अपने उत्सुकतापूर्वक विचार करने और दलीलों की

सामग्री को देखने के बाद भी, मैं इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेश को वापस लेने के लिए इच्छुक नहीं हूं।

4. इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

7. मध्यप्रदेश राज्य ने व्यथित होकर 2018 के डब्ल्यू.ए. क्रमांक 56 के तहत रिट अपील दायर की तथा उक्त रिट अपील दिनांक 09.03.2018 को इस आधार पर वापस ले ली गई कि ग्रेच्युटी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सी.जी. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (जिसे आगे 'नियम, 1976' कहा जाएगा) के नियम 9 (4) का हवाला दिया तथा प्रस्तुत किया कि विभागीय जांच को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता तथा दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात कर्मचारी को वह संपूर्ण पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसका वह हकदार है। इसलिए, विभागीय जांच हालांकि वर्ष 2005 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इसका निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, इसलिए इसे अनंत काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता है और बकाया राशि के परिणामिक लाभ के साथ पेंशन को बहाल किया जाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. प्रतिवादी संख्या 1 और 3 के विद्वान राज्य वकील द्वारा इस याचिका के साथ प्रस्तुत अनुलग्नक आर 1 से पता चलता है कि 11.01.2018 को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसलिए, राज्य सरकार के संचार को पढ़ने से पता चलता है कि बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि, मध्य प्रदेश राज्य ने सूचित किया कि रिट अपील का परिणाम प्रभावी होगा और उक्त सूचना वर्ष 2018 में याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया था।

9. नोटिस तामिली के बावजूद मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इस न्यायालय के समक्ष कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

10. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

11. दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की दिनांक 31.03.2000 को सेवानिवृत्ति से पहले दिनांक 27.03.2000 को विभागीय जांच शुरू हुई थी, आज की तारीख में 20 वर्ष बीत चुके हैं और विभागीय कार्यवाही वर्ष 2005 में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी लंबित है । इसी तरह की स्थिति के संबंध में जांच के लंबे समय तक लंबित रहने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशानिर्देश दिए गए हैं। **प्रेम नाथ बेल बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च**

न्यायालय एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने (2015) 16 एससीसी 415 में उचित समय के भीतर जांच के निष्कर्ष के संबंध में पैरा 26 से 28 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> 26. इस न्यायालय ने बार–बार इस बात पर जोर दिया है कि नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दोषी कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच प्राथमिकता के आधार पर कम से कम समय में पूरी हो। ऐसे मामलों में जहां दोषी को ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निलंबित कर दिया जाता है, तो नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो जाता है कि दोषी कर्मचारी के अधिकारों के प्रति किसी भी असुविधा, हानि और पूर्वाग्रह से बचने के लिए जांच कम से कम समय में पूरी हो।
>
> 27. अनुभव के आधार पर, हम अक्सर देखते हैं कि जांच पूरी होने के बाद, उसमें शामिल मुद्दा समाप्त नहीं होता है क्योंकि अगर जांच कार्यवाही के निष्कर्ष दोषी कर्मचारी के खिलाफ जाते हैं, तो वह हमेशा अपनी शिकायत को व्यक्त करने के लिए अदालत में मुद्दे को आगे बढ़ाता है, जिससे अंतिम निष्कर्ष निकलने में समय लगता है।
>
> 28. इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह विचार है कि प्रत्येक नियोक्ता (चाहे वह सरकारी हो या निजी) को दोषी कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच कार्यवाही को उचित समय के भीतर समाप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए । ऐसी कार्यवाही को प्राथमिकता देते हुए और जहां तक संभव हो इसे छह महीने के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए। जहां नियोक्ता के लिए कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले कुछ अपरिहार्य कारणों से समय सीमा के भीतर निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है, तो कारण और जांच की प्रकृति के आधार पर उचित रूप से विस्तारित अवधि के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन एक वर्ष से अधिक नहीं।"

12. बेशक, जांच पूरी नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान नहीं हुआ है। इस याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चलता है कि शुरू में याचिकाकर्ता ने इस तथ्य की शिकायत की थी और इस न्यायालय ने 04.05.2015 को डब्ल्यूपीएस संख्या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1503/2015 में आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया था। ऐसा नहीं किए जाने के कारण, सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान अभी भी लंबित है और बाद में ग्रेच्युटी का भुगतान न करने के लिए डब्ल्यूपीएस संख्या 2690/2016 वाली एक और याचिका दायर की गई, जिसमें इस न्यायालय ने 25.07.2017 को इस आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया है कि यदि विभागीय जांच पूरी नहीं हुई है, तो ग्रेच्युटी रोकी नहीं जा सकती है। उक्त आदेश के विरुद्ध एमसीसी संख्या 627/2017 के तहत पुनरीक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 06.10.2017 को खारिज कर दिया गया। ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य ने डब्ल्यूए संख्या 56/2018 के तहत रिट अपील प्रस्तुत की, जिसे वापस लेने के आधार पर दिनांक 09.03.2018 को इस न्यायालय द्वारा उक्त रिट को खारिज कर दिया गया।

13. केवल इसलिए कि विभागीय जांच 20 वर्ष से अधिक समय से पूरी नहीं हुई है, क्या प्रतिवादी–मध्य प्रदेश राज्य संपूर्ण सेवानिवृत्ति बकाया रोक सकता है? इसका उत्तर नियम 1976 के नियम 9 के उपनियम (4) तथा उसके परंतुक खंड में है, जो इस प्रकार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पेंशन रोकने या वापस लेने का राज्यपाल का अधिकार.–

(1) XXX XXX XXX

(2) XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित है या जहां उप–नियम (2) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही जारी है, [नियम 64] में दिए गए प्रावधान के अनुसार अनंतिम पेंशन और मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, जैसा भी मामला हो, स्वीकृत की जाएगी:

[परन्तु जहां विभागीय कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकारी कर्मचारी को पेंशन अंतिम रूप से स्वीकृत कर दी गई है, वहां राज्यपाल लिखित आदेश द्वारा विभागीय कार्यवाही शुरू होने की तारीख से स्वीकृत पेंशन का पचास

प्रतिशत रोक सकेगा, बशर्ते कि ऐसी रोक के बाद देय पेंशन [सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन] से कम न हो जाए :

आगे यह भी प्रावधान है कि जहां विभागीय कार्यवाही 25 अक्टूबर, 1978 से पहले शुरू की गई है, वहां पहला प्रावधान इस प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि "ऐसी कार्यवाही शुरू करने की तारीख से प्रभावी" शब्दों के स्थान पर "पूर्वोक्त तारीख से तीस दिन के बाद की तारीख से प्रभावी" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं:

यह भी प्रावधान है कि–

(क) यदि विभागीय कार्यवाही उसके संस्थित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो रोकी गई पेंशन की पचास प्रतिशत राशि उक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर बहाल हो जाएगी;

(ख) यदि विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो रोकी गई पेंशन की पूरी राशि उक्त दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर बहाल हो जाएगी; और

(ग) यदि विभागीय कार्यवाही में पेंशन रोकने या वापस लेने का अंतिम आदेश पारित किया जाता है या कोई वसूली का आदेश दिया जाता है, तो आदेश विभागीय कार्यवाही के संस्थित होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा और रोकी गई पेंशन की राशि को नियम 43 के उपनियम (5) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन अंतिम आदेश के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जैसा कि इस मामले में, विभागीय कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है, यद्यपि नियम 9 (4) के प्रावधान खंड (बी) के अनुसार दो वर्ष बीत चुके हैं, जो यह अनिवार्य करता है कि यदि विभागीय कार्यवाही संस्था की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो रोकी गई पेंशन की पूरी राशि दो वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर बहाल हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर किए गए उत्तर में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा रिट अपील के बारे में किया गया संचार शामिल है। बेशक, अभिलेख से पता चलता है कि रिट अपील को बाद में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अनुलग्नक पी–13 के तहत वापस ले लिया गया था। इसलिए, नियम 1976 के नियम 9 (4) के प्रावधान खंड (बी) के मद्देनजर, याचिकाकर्ता पूरी पेंशन का हकदार है, जिसे दो साल के भीतर विभागीय

जांच पूरी नहीं होने की स्थिति में बहाल किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ बहाल करेगा, जो वर्ष 2000 में सेवानिवृत्त हुए इसी तरह के सरकारी कर्मचारियों को देय है, जिसमें 6 वां वेतन आयोग का लाभ भी शामिल है और आगामी वेतन आयोग का लाभ भी दिया जाएगा, यदि बाद में इसे लागू किया गया हो। याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ की असंदत्त राशि पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ संपूर्ण बकाया भी प्राप्त होगा। प्रतिवादियों को इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने का भी निर्देश दिया जाता है ताकि राशि जल्द से जल्द जारी की जा सके।

15. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

सही/–

गौतम भादुडी

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**